संख्याः नि0 1728 /3–5 (व0अ0सु0)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी /
वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,
हल्द्वानी।

दिनांकः देहरादून 14 मार्च, 2017।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–800–03–00–वनों की अग्नि से सुरक्षा" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

सन्दर्भ :– शासनादेश सं0 131 / X–2–2017–12(27) / 2012 दि0 16.01.2017 **(छायाप्रति संलग्न)।**

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1701270143** दिनांक 13 जनवरी, 2017 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना– **"2406–01–800–03–00–वनों की अग्नि से सुरक्षा"** के अन्तर्गत **कोषागार मदों में** अवमुक्त धनराशि **₹78,99,000 /– (₹अढ़हत्तर लाख नियानब्बे हजार मात्र)** में से वर्तमान में **₹15,00,000 /– (₹पन्द्रह लाख मात्र)** का ऑनलाइन आवंटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग को **निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों** के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1– **शासनादेश के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को वनाग्नि रोकथाम हेतु विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत वन निक्षेप (Forest Deposit) में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम त्रैमास तक उपभोग करने की अनुमति है जिस कारण परिस्थितियों को देखते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही धनराशि आहरित कर व्यय की जाये।**

2– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु अन्य स्रोतों से भी धनराशि से उपलब्ध हुई है, यदि ऐसा पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4– निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015,** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सक्षम स्तर से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित / अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति / वनाग्नि सुरक्षा कार्यो हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाये।

6– धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

7– आवंटित / जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

...2

संख्याः नि0 1728 (1)/3–5 (व0अ0सु0) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।

2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस,सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 एवं अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 363/21–29 दिनांक 09.03.2017 के कम में।

7– मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

8– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

9– आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, उत्तराखण्ड। कृपया **उक्त पैरा–1 से 7** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनराशि का उपयोग अपने पत्रांक 2574/27–7 दिनांक 03.02.2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 363/21–29 दिनांक 09.03.2017 से प्रेषित मांग प्रस्ताव के सापेक्ष नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10– उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

14/3

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1728/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1703271200

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2017

DDO Name - DFO Tarai Forest Center (4324) , Treasury - Haldwani (0700)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

03 - वनों की अग्नि से सुरक्षा(राज्य सेक्टर)

00 - वनों की अग्नि से सुरक्षा(राज्य सेक्टर)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	10000	0	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0	15000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रो	10000	0	10000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	10000	0	10000
18 - प्रकाशन	2000	0	2000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	10000	0	10000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	22000	1500000	1522000
42 - अन्य व्यय	50000	0	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	12000	0	12000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	5000	0	5000
	146000	**1500000**	**1646000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1500000

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून